

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

2109

// विविध आदेश //

6

क्रमांक.....217/

रीवा, दिनांक 15/09/2025

/दो-15-3/90

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉलम नंबर-02 में दर्शित न्यायालयों से कॉलम नंबर-03 में दर्शित सूची अनुसार सिविल एवं दांडिक प्रकरणों को वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कॉलम नंबर-04 में दर्शित न्यायालय में अंतरित किया जाता है:-

क्र.	न्यायालय का नाम जहां से प्रकरण की सूची प्राप्त हुई है.	प्रकरण का प्रकार एवं नाम	प्रकरण जिस न्यायालय को स्थानांतरित किया गया है.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा	CRA No-01 to 08	श्री अशरफ अली, 19वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
2.	श्री अनुज त्यागी, अष्टम जिला न्यायाधीश रीवा	RCA No-28 to 30	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा
3.	श्री सुधीर सिंह ठाकुर, नवम जिला न्यायाधीश रीवा	RCA No-17 to 19	
4.	श्री संतोष तिवारी 14वें जिला न्यायाधीश रीवा	RCA No-36 to 38	
5.	श्री अशरफ अली, 19वें जिला न्यायाधीश रीवा	RCA No-18 to 20	

(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0.....4621/

रीवा, दिनांक 15/09/2025

दो-15-3/90

प्रतिलिपि:-

- 08वें/09वें/14वें/19वें जिला न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)
- अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
- प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
- जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)